न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

महफूल बनाम जमना वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 101/2026 (मसूदा)

रि.न.01 16/3/26

	श्री हसन खान	
04.03.2026	महफूल बनाम जमना वगैरह (2026/101) यह अपील श्री हसन खान एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 156/2025 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 05.03.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
05.03.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 16.03.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
16.03.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 05.03.2026 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश उक्त आराजी को पैतृक सम्पत्ति होना लिख दिया गया है जबकि उक्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 दोनो द्वारा संयुक्त खाते में से क्रय की जाकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त लिपिकीय त्रुटि के सम्बन्ध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दावे में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थीया के पक्ष में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त फरमाने में त्रुटि कारित की है जबकि वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि को सुरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीया संख्या 01 को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार से रहन, बय, मुंतकिल नहीं करे एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0आर0टी0 2024 (2) पेज नम्बर 1097, आर0आर0टी0 2023 (2) पेज नम्बर 919, आर0बी0जे0 2016 पेज नम्बर 468 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील मिमों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

महफूल बनाम जमना वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 101/2026 (मसूदा)

लगातार...

समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 19.11.2025 को प्रस्तुत किया गया तथा जिस पर अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय वहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 06.02.2026 को अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में बेचान का नामांतकरण की सूची प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अपास्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है।

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर विना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

श्री हसन खां प्र0के
अपीलार्थी श्री बाड़ जोन्य
प्रस्तुत किया
2
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
4/3/26

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या ......101/2026 जिला ब्यावर

महफूल पत्नि बाबू, जाति मेहरात निवासी ग्राम गुवाडिया तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।

— अपीलांट

बनाम्

1. जमना पत्नि जफरू, जाति मेहरात, निवासी ग्राम गुवाडिया तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।
2. राज्य सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार एवं उप पंजीयक महोदय, मसूदा, जिला ब्यावर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, ब्यावर दिनांक 6.2.2026 जो प्रकरण संख्या 156/2025 बउनवानी जमना बनाम महफूल व अन्य में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है :–

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य में इस प्रकार हैं कि वादीया/अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, ब्यावर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Scanned with CamScanner